उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

संख्या-37/2017/902/59-2-2017-6(खा)/2015

लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लम्बित दावों के भुगतान विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-28/2017/709/59-2-2017-6(खा)/2015, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न फॉट में क्रमांक-17 पर अंकित जनपद बरेली हेतु:-

वर्ष वित्तीय वर्ष 2012-13व 2013-14 की लम्बित देयता हेतु प्राविधानित धनराशि से सम्बन्धित कालम-3 में अंकित रू0 18.00 लाख त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर अब रू0 17.91 लाख एवं

अवशेष 07 माह हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि से सम्बन्धित कालम-5 में रू0 10.50 लाखत्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर 10.41 लाख पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-28/2017/709/59-2-2017-6(खा)/2015, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के साथ संलग्न फॉट को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2017/902(1)/59-2-2017-6(खा)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/सयुंक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड।
6- सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें।
8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।